

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1824/2023

Omprakash S/o Late Onkarmal,

----Appellant

Versus

Mahaveer Prasad S/o Late Onkarmal,

----Respondent

For Appellant(s)	:	Ms. Dimpal Meena, Adv. Mr. Ankit Sharma, Adv. for Mr. S C Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

13/03/2026

धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र संख्या 871/2023 पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण उचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुए 09 दिन के विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील को मियाद में माना जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार सात दिन में पी एफ नोटिस व डाक खर्च पेश किये जाने पर प्रत्यर्थी को नोटिस सामान्य प्रक्रिया के साथ साथ स्पीड पोस्ट से जारी किये जावे।

पत्रावली छह सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J